मीडिया सेल

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0

चतुर्थ तल, विकास भवन, जनपथ मार्केट, लखनऊ

प्रेस नोट संख्या–249

लोकसभा सामान्य निर्वाचन–2024 के सातवें चरण में 13 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए अब तक 19 प्रत्याशियों ने नामांकन किया

08 मई को लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 14 प्रत्याशियों ने किया नामांकन

महराजगंज में 01, गोरखपुर में 02, कुशीनगर में 01, देवरिया में 02, घोसी में 02, सलेमपुर में 01, गाजीपुर में 01, चन्दौली में 01, वाराणसी में 02, मिर्जापुर में 01 प्रत्याशी ने नामांकन किया

दुद्धी (अ0ज0जा0) विधानसभा उप निर्वाचन के लिए नामांकन शून्य

सातवें चरण में 14 मई नामांकन की अंतिम तिथि, 01 जून को होगा मतदान

दिनांक 08 मई, 2024

लखनऊ। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवदीप रिणवा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 16 मार्च, 2024 को लोकसभा निर्वाचन की तिथियों की घोषणा के साथ ही प्रदेश में स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, भयमुक्त, प्रलोभनमुक्त, समावेशी व सुरक्षित मतदान कराने की प्रक्रिया संचालित है। लोकसभा सामान्य निर्वाचन–2024 के सातवें चरण में 13 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों तथा 403–दुद्धी (अ0ज0जा0) विधानसभा उप निर्वाचन–2024 के लिए 07 मई, 2024 को निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने के साथ ही इन निर्वाचन क्षेत्रों में नामांकन का कार्य चल रहा है। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए अब तक कुल 19 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। 08 मई को 14 प्रत्याशियों ने नामांकन किया। इसके पूर्व 05 प्रत्याशियों ने नामांकन किया था। 403–दुद्धी (अ0ज0जा0) विधानसभा उप निर्वाचन–2024 के लिए अब तक नामांकन शून्य है। नामांकन पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 03 बजे के मध्य किये जा सकेंगे।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रदेश में सातवें चरण की 13 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 08 मई को 14 प्रत्याशियों ने नामांकन किया, इसमें :—

63—महराजगंज लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्दलीय प्रत्याशी छेदी मजदूर ने नामांकन किया।

64—गोरखपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए अल—हिन्द पार्टी से श्रीराम प्रसाद, निर्दलीय प्रत्याशी में राधेश्याम सेहरा ने नामांकन किया।

65—कुशीनगर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए अपना दल यूनाइटेड पार्टी से अमीरूद्दीन ने नामांकन किया।

66—देवरिया लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए जनता समता पार्टी से मुक्तिनाथ सिंह, निर्दलीय प्रत्याशी में हरिकेश ने नामांकन किया।

70—घोसी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए बहुजन समाज पार्टी से बाल कृष्ण, जनराज्य पार्टी से राम नरेश यादव ने नामांकन किया।

71—सलेमपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए भारतीय जनता पार्टी से रवीन्द्र ने नामांकन किया।

75—गाजीपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए भारतीय लोकवाणी पार्टी से धनन्जय कुमार तिवारी ने नामांकन किया।

76—चन्दौली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए बहुजन समाज पार्टी से सत्येन्द्र ने नामांकन किया।

77—वाराणसी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए अपना दल (कमेरावादी) से गगन प्रकाश, राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रान्ति पार्टी से पारस नाथ केसरी ने नामांकन किया।

79—मिर्जापुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्दलीय प्रत्याशी में विजय कुमार ने नामांकन किया।

इसके अतिरिक्त अन्य सभी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों एवं सोनभद्र जनपद की दुद्धी (अ0ज0जा0) विधानसभा उप निर्वाचन के लिए नामांकन शून्य रहा।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रदेश में लोकसभा सामान्य निर्वाचन—2024 के सातवें चरण की 13 लोकसभा सीटों तथा 403—दुद्धी (अ0ज0जा0) विधानसभा उप निर्वाचन—2024 के लिए नामांकन भरने की अंतिम तिथि 14 मई, 2024 निर्धारित है।

नामांकन पत्रों की जांच 15 मई को की जायेगी। 17 मई, 2024 नाम वापसी की अंतिम तिथि निर्धारित है। इसके उपरान्त इन निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की सूची अन्तिम हो जायेगी। सातवें चरण का मतदान 01 जून, 2024 को सम्पन्न होगा। उत्तर प्रदेश के सभी निर्वाचन क्षेत्रों की 04 जून, 2024 को मतगणना की जायेगी।

उन्होंने कहा कि नामांकन के दौरान सुरक्षा की व्यापक व्यवस्था की गयी है। सम्पूर्ण नामांकन प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी करायी जा रही है। सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों, उप जिला निर्वाचन अधिकारियों तथा सुरक्षा हेतु तैनात पुलिस अधिकारियों को विशेष सतर्कता बरतने के भी निर्देश दिये गये है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन–2024 हेतु सामान्य श्रेणी के प्रत्याशी को 25,000 रुपये तथा अनु0जाति/अनु0जनजाति के प्रत्याशी को 12,500 रुपये जमानत धनराशि जमा करनी होगी। विधानसभा उप चुनाव के लिए सामान्य श्रेणी के प्रत्याशी को 10,000 रुपये तथा अनु0जाति/अनु0जनजाति के प्रत्याशी को 5000 रुपये जमानत धनराशि जमा करनी होगी। मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय/राज्यीय दलों के प्रत्याशियों को निर्वाचन क्षेत्र का एक निर्वाचक प्रस्तावक के रूप में तथा रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनीतिक दल एवं निर्दलीय प्रत्याशियों को 10 प्रस्तावक की आवश्यकता होगी।

लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में प्रत्येक प्रत्याशी के लिए व्यय की अधिकतम सीमा 95 लाख रुपये तथा विधानसभा उप निर्वाचन क्षेत्र में प्रत्येक प्रत्याशी के लिए व्यय की अधिकतम सीमा 40 लाख रुपये निर्धारित है। नामांकन के समय रिटर्निंग ऑफिसर/सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय के 100 मीटर की परिधि के भीतर अधिकतम 03 वाहन तथा प्रत्याशी सहित अधिकतम 05 व्यक्तियों के प्रवेश की अनुमति होगी। राजनीतिक दलों द्वारा खड़े किये गये उम्मीदवारों को फार्म–ए तथा फार्म–बी नामांकन की अंतिम तिथि 14 मई, 2024 को अपराह्न 03 बजे तक दाखिल करना होगा।

————————